

सं. 16/05/2022 – रा. भा. (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी – II भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली – 110 001
दिनांक: 19 अक्टूबर, 2022

कार्यालय आदेश

विषय: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति।

राजभाषा विभाग के दिनांक 25 अप्रैल, 2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित स्थानांतरण नीति के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के भागीदार सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तथा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों से सुझाव मांगे गये थे। मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तथा दिनांक 05.08.2005, 11.02.2014 तथा 21.06.2016 को जारी की गई केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग की स्थानांतरण नीति के आधार पर संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को अंतिम रूप दिया गया है। स्थानांतरण नीति के निम्नलिखित प्रावधान होंगे:-

- (1) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को पदोन्नति पर अनिवार्यतः स्थानांतरित किया जाएगा।
- (2) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों ने एक मंत्रालय/ विभाग/ संबद्ध कार्यालय में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनको यथासंभव उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार अन्य मंत्रालयों/विभागों में स्थानांतरित किया जाएगा।
- (3) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती एक कार्यालय में लगातार 05 वर्ष और पूरे सेवाकाल में कुल 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी।
- (4) दो वर्ष अथवा इससे कम का सेवाकाल शेष होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण सामान्यतः नहीं किया जाएगा।
- (5) यदि किसी मंत्रालय/विभाग से 02 या अधिक अधिकारी/कर्मचारी स्थानांतरित/पदोन्नत होते हैं तो उनमें से जिस अधिकारी/ कर्मचारी की उस कार्यालय में सेवा अवधि तुलनात्मक रूप से कम होगी, उसी अधिकारी/कर्मचारी को उसी मंत्रालय में रखा जा सकता है (चाहे उसने 5 वर्ष से अधिक की सेवा उस मंत्रालय/विभाग में पूरी कर ली हो) ताकि उस मंत्रालय विभाग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अतः जिस अधिकारी/कर्मचारी के 5 वर्ष पूरे होने पर उसे उस समय स्थानांतरित नहीं किया गया है, उसे अगले वर्ष उस कार्यालय से स्थानांतरित किया जाएगा।

- (6) इस नीति के अन्तर्गत यह ध्यान रखा जाएगा कि जो अधिकारी/ कर्मचारी मंत्रालयों/ विभागों में कार्यरत होंगे, उन्हें यथासंभव उनके विकल्पों और उपलब्धता के आधार पर सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों में तथा उसी प्रकार संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य मंत्रालयों/ विभागों में स्थानांतरित किया जाएगा।
- (7) यदि पति एवं पत्नी दोनों भारत सरकार के कार्मिक हैं, तो दोनों को एक स्टेशन (कार्यस्थल) पर तैनाती देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। मानवीय आधार पर स्थानांतरण जैसे पति- पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती, चिकित्सा आधार पर तैनाती, दिव्यांग कार्मिकों तथा ऐसे कार्मिकों जिनके बच्चे मानसिक रोगी है, के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक यथासंभव विचार किया जाएगा तथा इन कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा।
- (8) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके प्रत्यावर्तन के समय जिन कार्यालयों में आवश्यकता होगी, उन्हें उन कार्यालयों में ही तैनात किया जाएगा। प्रत्यावर्तित होने के बाद प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त करने वाले कार्यालय में दोबारा तैनाती उनका अधिकार नहीं होगा।
- (9) अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत मिलने पर, सरेंडर किए जाने पर अथवा उसके द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन किए जाने पर, मामले की सम्यक जांच करने के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा।
- (10) तैनाती हेतु किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश अथवा राजनैतिक दबाव डलवाने को अयोग्यता (केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली, 1964 का नियम - 20) माना जाएगा और संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (11) विशेष परिस्थिति में किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को कभी भी/ कहीं भी बनाए रखने/ स्थानांतरित किए जाने का अंतिम अधिकार राजभाषा विभाग के पास होगा।

2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण समितियों का गठन निम्न प्रकार से किया गया है:-

राजपत्रित अधिकारियों हेतु (निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/ सहायक निदेशक)

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| (1) | संयुक्त सचिव (रा. भा.) | - | अध्यक्ष |
| (2) | राजभाषा विभाग का कोई अन्य निदेशक/ उप सचिव | - | सदस्य |
| (3) | निदेशक/उप सचिव (सेवा) | - | सदस्य सचिव |

अराजपत्रित अधिकारियों हेतु (वरिष्ठ / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी)

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| (1) | निदेशक/ उप सचिव (सेवा) | - | अध्यक्ष |
| (2) | राजभाषा विभाग का कोई अन्य निदेशक/ उप सचिव | - | सदस्य |
| (3) | अवर सचिव (सेवा) | - | सदस्य सचिव |

3. उपर्युक्त समितियों की सिफारिश पर राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव, राजभाषा विभाग तथा अराजपत्रित अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राजेश
19/12/22

(राजेश कुमार)
सहायक निदेशक (सेवा)

सेवा में,

1. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के भागीदार सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय।
2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारी/ कर्मचारी।
3. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव।
5. तकनीकी निदेशक (एन आई सी)। कृपया कार्यालय आदेश को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
6. गार्ड फाइल।